मनौव्वर आजम, शब्बीर अंसारी आदि थे।

होल्डिंग टैक्स समेत ब्याज व जुर्माना बकाया नोटिस रद्द कराने को प्रधान सचिव से मिलेंगे

नागरिक अधिकार मंच की तरफ से कांटी कस्बा मध्य विद्यालय में की गई महापंचायत

भास्कर न्यूज | कांटी

अवैध तरीके से होल्डिंग टैक्स में 200 गुना तक ब्याज व जुर्माना जोड़ कर बकाया का नोटिस भेजने के विरोध में नागरिक अधिकार मंच की तरफ से रविवार को कांटी कस्बा मध्य विद्यालय में महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में सर्वसम्मति से इसके खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। मंच के संरक्षक सह प्रवक्ता सम्राट कुमार ने कहा कि हर हाल में इस अवैधानिक नोटिस को निरस्त करवाया जाएगा। नगर निकाय के पूर्व उपाध्यक्ष सह मंच के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने कहा कि वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में भी कांटी में पदस्थापन के दौरान इसी प्रकार से नियमों से खिलवाड़ करते थे। इसको लेकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। मंच के संरक्षक अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि यह लड़ाई नियमों के साथ खड़े जनता की नियमों को तोड़ जनता को प्रताड़ित करने वाले अफसरशाही के खिलाफ है। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवैध आदेश को निरस्त कराने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और वैधानिक नियमों की उपेक्षा करने वाले कार्यपालक पदाधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करेगा। महापंचायत के बाद आगे भी जनहितकारी मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से नागरिक अधिकार मंच का पुनर्गठन किया गया। जिसमें सम्राट कुमार, मनीष कुमार एवं महेश चौधरी को मंच का संरक्षक, महेश प्रसाद साह को अध्यक्ष, रमण प्रसाद, मदन प्रसाद, सुरेन्द्र चौधरी, मनोज कुमार शर्मा, शलेन्द्र कुमार चौधरी, ललित झा, राजकिशोर ठाकुर, मो. हामिद, धीरज सोनी, महेंद्र साह, दिलीप कुमार व विनोद दास को उपाध्यक्ष एवं कृष्ण कुमार साह को कोषाध्यक्ष बनाया गया।



महापंचायत में मौजूद नगर परिषद क्षेत्र की जनता-उपभोक्ता।

मनौव्वर आजम, शब्बीर अंसारी आदि

होल्डिंग टैक्स समेत ब्याज व जुर्माना बकाया नोटिस रद्द कराने को प्रधान सचिव से मिलेंगे

नागरिक अधिकार मंच की तरफ से कांटी करबा मध्य विद्यालय में की गई महापंचायत

भास्कर न्यूज कांटी

अवैध तरीके से होल्डिंग टैक्स में 200 गुना तक ब्याज व जुर्माना जोड़ कर बकाया का नोटिस भेजने के विरोध में नागरिक अधिकार मंच की तरफ से रविवार को कांटी कस्बा मध्य विद्यालय में महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में

"राजकीय मध्य विद्यालय कोटी करवा

नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के लोग शामिल महापंचायत में मौजूद नगर परिषद क्षेत्र की जनता - उपभोक्ता।

हुए। महापंचायत में सर्वसम्मति से इसके खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। मंच के संरक्षक सह प्रवक्ता सम्राट कुमार ने कहा कि हर हाल में इस अवैधानिक नोटिस को निरस्त करवाया जाएगा। नगर निकाय के पूर्व उपाध्यक्ष सह मंच के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने कहा कि वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में भी कांटी में पदस्थापन के दौरान इसी प्रकार से नियमों से खिलवाड़ करते थे। इसको लेकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। मंच के संरक्षक अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि यह

लड़ाई नियमों के साथ खड़े जनता की नियमों को तोड़ जनता को प्रताड़ित करने वाले अफसरशाही के खिलाफ है। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवैध आदेश को निरस्त कराने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और वैधानिक नियमों की उपेक्षा करने वाले कार्यपालक पदाधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करेगा। महापंचायत के बाद आगे भी जनहितकारी मुद्दों पर संघर्ष जारी

रखने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से नागरिक अधिकार मंच का पुनर्गठन किया गया। जिसमें सम्राट कुमार, मनीष कुमार एवं महेश महेश चौधरी को मंच का संरक्षक, प्रसाद साह को अध्यक्ष, रमण प्रसाद, मदन प्रसाद, सुरेन्द्र चौधरी, मनोज कुमार शर्मा, शलेन्द्र कुमार चौधरी, ललित झा, राजकिशोर ठाकुर, मो. हामिद, धीरज सोनी, महेंद्र साह, दिलीप कुमार व विनोद दास को उपाध्यक्ष एवं कृष्ण कुमार साह को कोषाध्यक्ष बनाया गया।